पत्रांकः योo बo 42/12 1057/प0व0

अति महत्वपूर्ण निदेश

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार

पटना–15 दिनांक– 14-03-13

विषय– गैर योजना एवं योजनान्तर्गत राशि के आवंटन संबंधी प्रक्रिया का पुर्ननिर्धारण करने के संबंध में ।

महाशय,

विषयगत संदर्भ में यह व्यवस्था सम्प्रति लागू है जिसके अनुसार गैर–योजना मद की राशि का आवंटन प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के द्वारा संबंधित वन संरक्षक एवं वन संरक्षक के द्वारा निर्दिष्ट राशि का उपावंटन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को किया जाताा है। इसी तरह योजनान्तर्गत सरकार के स्तर से निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक के द्वारा निर्दिष्ट राशि का अवंटन उपर्युक्त व्यवस्था के अनुरूप किया जाता है।

समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि सरकार के स्तर से स्वीकृत्यादेश निर्गत किये जाने के बावजूद निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तक इस राशि की उपलब्धता में अतिशय विलंब हुआ है। इस विलंब के कारण ससमय राशि की निकासी नहीं की जा सकी है जिसके कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक रूप से विलंब परिलक्षित हुआ है। इसके अलावा दो–तीन स्तरों पर उप आवंटन के कारण निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वार आवंटन में भी भिन्नता आई जिसके कारण वर्ष के अंत में कई कोषागारों में "allotment greater than budget" की टिप्पणी के साथ विपत्र वापस हो गया। गैर–योजना/योजनामद के तहत शीर्ष/उपशीर्षवार निर्दिष्ट राशि के उपावंटन के निमित्त

उपर्युक्त व्यवस्था का पुर्ननिर्धारण किया जाना आवश्यक है। मेरी जानकारी में अन्य किसी भी विभाग में ऐसी व्यवस्था लागू नहीं है एवं आवंटन सीधे निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को देते हुए उसकी प्रति नियंत्री पदाधिकारियों को दी जाती है।

इस परिदृश्य में गैर–योजना/योजनामद में राशि के उपावंटन की प्रक्रिया का कार्यहित में सरलीकरण किया जाना अपेक्षित है। तद्लोक में निदेशानुसार आवंटन के संबंध में निम्नांकित प्रक्रिया का पुर्ननिर्धारण किया जाता है। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2013–14 से प्रभावी एवं कार्यान्वित होगी–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक द्वारा योजना एवं गैर योजना दोनों मद में निर्दिष्ट राशि का आवंटन सीधा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को किया जायेगा तथा आवंटन आदेश की प्रति संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक को भी दी जायेगी।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन,

14/3/13

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– यो0 ब0 42/12 1057 **/प0व0, पटना–15 दिनांक–** 14-03-13

प्रतिलिपि–सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/13

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।